

सं०:-01/सा०सु० 02/2019 स.क.:-310

बिहार सरकार
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

प्रेषक,

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-16/6/2020

विषय:- कोविड-19 के कारण घोषित आपदा स्थिति में प्रधानमंत्री/केन्द्र सरकार द्वारा सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए घोषित राशि रु० 1000/- (एक हजार) उपलब्ध कराने के संबंध में। (वाद सं०-903/2020)

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक-849/आ०नि०को० दिनांक-02.06.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि केन्द्र सरकार की 03 केन्द्रीय पेंशन योजनाओं यथा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 29,96,472 पेंशनधारियों के लिए, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 5,47,777 पेंशनधारियों के लिए तथा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना में 1,20,562 पेंशनधारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत रु० 500-500 की दो किस्तों में राशि का भुगतान किया जा चुका है। भवदीय को विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए राहत राशि विमुक्त नहीं की गयी है।

विश्वसमाज्ञ

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय,
बिहार, पटना।
16/6/2020